संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2021/765 भोपाल, दिनांक 24/05/2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त सी.ई.ओ. जिला पंचायत, म.प्र।
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, म.प्र।
6. समस्त नगर पंचायत अधिकारी, म.प्र।

विषयः–चिन्हांकित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रोंमें "किल कोरोना–4" अभियान का संचालन दिनांक 25/05/2021 से करने बावत्।

संदर्भः–संचालनालयीन पत्र क्र./आई.डी.एस.पी./2021/643 दिनांक 05/05/2021

विषयांतर्गत लेख है कि कोविड–19 रोगियों के शीघ्र पहचान एवं त्वरित उपचार की दृष्टि से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दिनांक 24 मई 2021 तक स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन "किल कोरोना–3" अभियान का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रदेश में कोविड का विस्तार शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने के फलः स्वरूप यह अत्यन्त आवश्यक है कोरोना के रोगियों की त्वरित पहचान के लिए सतत् सर्वेक्षण एवं निगरानी की जाये। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार समस्त प्रदेश को 31 मई 2021 तक कोरोना मुक्त करने हेतु संपूर्ण प्रदेश में विशेष रूप से एक्टिव केस युक्त ग्राम एवं शहरी क्षेत्रों में कोरोना के हॉट स्पॉट चिन्हाकित कर उनमें कोरोना को समाप्त करने हेतु "किल कोरोना–4" अभियान निर्धारित किया गया है।

कोविड की प्रथम लहर के दौरान व्यापक रूप से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई थी। वर्तमान में कोविड की दूसरी लहर में पॉजिटिव रोगीयों की संख्या तेजी से कम हो रही है ऐसी स्थिति में कोरोना का संक्रमण पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु पुनः कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की कार्यवाही की जाए। किल कोरोना अभियान की प्राथमिकता औषधियों के वितरण के साथ सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की टेस्टिंग तथा उन्हें कोविड केयर सेन्टर में समुदाय से पृथक कर आइसोलेट किया जाना है।

"किल कोरोना–4" अभियान के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः–

1. ग्रामीण रणनीति
   i. **यदि किसी भी ग्राम एक अथवा एक से अधिक एक्टिव केस दिनांक 24/05/2021 की स्थिति में हो तो, ऐसे सभी ग्रामों में दिनांक 25 मई से 31 मई 2021 के मध्य पुनः 'किल कोरोना–4' अभियान अंतर्गत प्रत्येक घर में सर्दी/खांसी/बुखार के लक्षण वाले रोगियों की स्क्रीनिंग की जाये।**
   ii. ग्राम स्तर पर स्क्रीनिंग हेतु गठित **प्राथमिक दल** में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका एवं ग्राम रोजगार सहायक सम्मिलित होंगे। प्राथमिक दल में जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समिति के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाये। नगर पंचायत हेतु प्राथमिक दल में नगर पंचायत के मैदानी कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाये।
   iii. प्राथमिक दल के ऊपर **द्वितीय स्तरीय पर्यवेक्षक दल** का गठन किया जाये जिसमें आशा सहयोगिनी/ए.एन.एम./सी.एच.ओ./एल.एच.व्ही./पुरूष सुपरवाईजर/मलेरिया सुपरवाईजर/लेप्रोसी सुपरवाईजर/बी.ई.ई./एस.टी.एस./एस.टी.एल.एस एवं पंचायत सचिव/आंगनवाड़ी सुपरवाईजर सम्मिलित होंगे।

iv. द्वितीय स्तरीय पर्यवेक्षक दल द्वारा अधीनस्थ प्राथमिक दलों द्वारा सांझा की गई सूची की पुष्टि उन घरों मे पुनः गृह भेंट कर सुनिश्चित की जाये एवं बुखार एवं कोरोना के लक्षण वाले कोविड–19 के संभावित रोगियों को लक्षण अनुसार औषधियाँ प्रदान की जाये।

v. अधीनस्थ ग्रामों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय पर्यवेक्षक दलों की संख्या निर्धारित की जाये जिसमें प्रत्येक दल में 2 व्यक्ति को सम्मिलित किया जाये जिसमें से 1 व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग का हो।

vi. कोविड के संभावित लक्षण वाले रोगियों को निकटस्थ "फीवर क्लीनिक" में कोविड–19 की जांच हेतु रेफर किया जाये।

vii. कोविड–19 के संदिग्ध रोगियों की जांच द्वारा पुष्टि होने तक उन्हें होम क्वांरटाईन अथवा घर पर सुविधा न उपलब्ध होने पर पंचायत भवन आदि में संस्थागत क्वारंटाईन किया जाये।

viii. कोविड की पुष्टि होने पर पॉजीटिव रोगी को तत्काल होम आईसोलेशन (यदि घर पर पृथक कमरा एवं शौचालय उपलब्ध हो तो) अथवा ब्लॉक स्तरीय कोविड केयर सेन्टर अथवा जनपद पंचायत के क्वारंनटाईन केन्द्रों पर आईसोलेट किया जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोविड–19 के एक्टिव केसों की संख्या के आधार पर 03 जोन में विभाजित किया जायेगा।

- **≥ 5 एक्टिव केसेस प्रति ग्राम पंचायत – लाल जोन**
- **1–4 एक्टिव केसेस प्रति ग्राम पंचायत – पीला जोन**
- **0 एक्टिव केसेस प्रति ग्राम पंचायत – हरा जोन**

लाल तथा पीले जोन में स्थित ग्राम पंचायतों में निरंतर डोर–टू–डोर सर्वे तथा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की प्रकिया की जाये ताकि वह भी हरे जोन में परिवर्तित हो जायें।

2. **शहरी रणनीति**

शहरी क्षेत्रों में हॉट–स्पॉट क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाये एवं लगातार निगरानी की जाये। कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाये जाने पर उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाये। संक्रमण को नियंत्रित करने एवं प्रसार को सीमित करने हेतु माइक्रोकन्टेन्मेंट जोन बनाये जाये।

जिला प्रशासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों तथा जन अभियान परिषद के जिला प्रतिनिधियों के साथ समन्वित रणनीति तैयार कर किल कोरोना–4 अभियान का संचालन दिनांक 25 मई 2021 से सुनिश्चित किया जाये। **किल कोरोना–4 अभियान हेतु रिपोर्टिंग संबंधी समस्त कार्यवाही सार्थक पोर्टल के फॉर्म *"किल कोरोना –4"* में नियमित रूप से समय सीमा में भरना अनिवार्य है।**

उपरोक्तानुसार समस्त निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित)

(आकाश त्रिपाठी)
स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र

क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2021/766 भोपाल, दिनांक 24/05/2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग,वल्लभ भवन, म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, वल्लभ भवन, म.प्र।
3. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वल्लभ भवन, म.प्र।

4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र।
6. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
8. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, म.प्र।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र।
11. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
12. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।
13. समस्त विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र।
14. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र